

Amount*
in case of Cash/NEFT/RTGS/Direct debit

राशि*
कैश/एनईएफटी/आरटीजीएस/ प्रत्यक्ष डेबिट के मामले में

पब्लिशिंग*
नकद/एनईएफटी/आरटीजीएस/आइएनई डेबिट के मामले में

(In words)
(शब्दों में)
(आखरों में)

Cheque No.
in case of Cheque

चैक संख्या
चैक के मामले में

चैक नंबर
चेक नंबर

Cheque Date

चैक की तारीख

चैक की तारीख

Drawn on

इस पर आहरित

अंकित

Bank Name

बैंक का नाम

बैंक का नाम

Branch

शाखा

शाखा

Please Debit My Account No. _____
*USFB a/c in case of direct transfer/

कृपया मेरी खाता संख्या डेबिट करें।
*प्रत्यक्ष अंतरण के मामले में यूएसएफबी खाता संख्या/
अनुग्रह करी मोबाइल एकाउंट नंबर डेबिट करके।
*प्रत्यक्ष क्रेडिट/एनईएफटी/आइएनई डेबिट के मामले में

Account No. & Name*
*other own bank a/c in case of NEFT/RTGS

खाता संख्या और नाम*
*एनईएफटी/आरटीजीएस के मामले में अन्य बैंकों में स्वयं के खाते

एकाउंट नंबर और नाम*
*अन्य बैंक/आरटीजीएस/आइएनई डेबिट के मामले में

RTGS/NEFT UTR No.*
आरटीजीएस/एनईएफटी यूटीआर नंबर*

आरटीजीएस/एनईएफटी यूटीआर नंबर*

Date of Transaction*
(With USFB)

लेन-देन की तारीख*
कैश/एनईएफटी/आरटीजीएस/ प्रत्यक्ष डेबिट के मामले में

लेन-देन की तारीख*
कैश/एनईएफटी/आरटीजीएस/आइएनई डेबिट के मामले में

Value Date
मूल्यन दिनांक
मान तारीख

Applicant(s) Signature only for Direct Debit from own A/c
केवल अपने स्वयं के खाते से प्रत्यक्ष डेबिट के लिए आवेदक (को) के हस्ताक्षर
आवेदनकर्ता (बैंक) केवल निज के एकाउंट पर पैनल पर डेबिट के लिए हस्ताक्षर

E) REPAYMENT DETAILS* Please Credit FD/RD maturity in:

पुनर्भुगतान विवरण* कृपया एफडी/आरडी परिपक्वता को इसमें क्रेडिट करें:
परिशोधन विवरण* अनुग्रह करी क्रेडिट एफडी/आरडी परिपक्वता:

1. Account No.
(With USFB)
खाता सं.
(यूएसएफबी के साथ)
एकाउंट नंबर
(यूएसएफबी के साथ)

2. Through DD
डीडी के माध्यम से
डीडी के माध्यम से

3. Account with other bank:
(copy of passbook/cancelled cheque should be enclosed)

अन्य बैंकों में खाता:
(पैसेबुक/रद्द चेक के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

आन वेबसाइट से एकाउंट:
(पैसेबुक/रद्द चेक के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

IFSC
आईएफएससी
आईएफएससी

Bank Name
बैंक का नाम
बैंक का नाम

Branch Name
शाखा का नाम
शाखा का नाम

F) NOMINATION DETAILS (FORM DA1)*

नामांकन विवरण (फॉर्म डीए 1)*
नामांकन विवरण (प्रपत्र डीए 1)*

Yes, I/We wish to nominate (as per detail below)
हां, मैं / हम नामांकित करना चाहते हैं (नीचे दिए गए विवरण के अनुसार)
हय, मैं/आमि मनोनीत करिब बिचावे (तलब विवरण अनुसार)

No, I/We have explained about the benefits of the nomination facility. However,
I would like to inform you that I do not wish to provide nomination for account.
नहीं, मुझे /हमें नामांकन सुविधा के लाभों के बारे में समझाया गया है।
तथापि, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि मैं खाते के लिए नामांकन प्रदान नहीं करना चाहता हूं।
नहय, मनोनयन सुविधा लाभालाभर बिषये मोक/आमोक व्याख्या करा हैहछे। अरुशो, मई आपनोक जनाब रिचार्जिहो ये
मई एकाउंट पर बावे मनोनयन प्रदान करिब निरिचारे।

Nomination under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2(1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of bank deposits.

बैंक जमा राशियों के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडए और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम 1985 के नियम 2 (1) के तहत नामांकन।

नमिनेशन ब्यांकिंग रेगुलेशन आक्ट, 1९४९ एर धारा ४५ जेडए एंड ब्यांकिंग आमानतेर केफ्रे ब्यांकिंग कोम्पनी (नमिनेशन) नियम १९८५ एर नियम २(१)- एर अधीन।

I / We (Name) _____ (Address) _____

nominate the following person to whom in the event of my / our / minor's death the amount of deposit in the above account, may be returned by UTKARSH SMALL FINANCE BANK.

मैं / हम (नाम) _____ (पता) _____

निम्नलिखित व्यक्ति को नामित करें जिसे मेरी / हमारी / अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में उपर्युक्त खाते में जमा राशि, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक द्वारा वापस की जा सकती है।

मई / आमि (नाम) _____ (ठिकाना) _____

निम्नलिखित व्यक्तिजनक मनोनीत करके याक मोबा / आमाब / नाबालकब मृत्युब केफ्रेत ओपबोक्त एकाउंटत जमाब परिमाण घूबाई दिब पावे, उतर्कश स्मॉल फाइनेंस बैंक घूबाई दिब पावे।

Nominee Name
नामिती का नाम
मनोनीत व्यक्तिब नाम

Address : Please ✓ if same as primary applicant
पता: कृपया ✓ करें यदि प्राथमिक आवेदक के समान है
ठिकाना: अनुग्रह करी ✓ यदि प्राथमिक आवेदनकर्ता के दवे एके हय

If different from primary applicant _____

यदि प्राथमिक आवेदक से अलग है

यदि प्राथमिक आवेदनकर्ता के पत्र पृथक हय

Relationship with depositor, if any _____

जमाकर्ता के साथ संबंध, यदि कोई हो

जमाकर्ता से संपर्क, यदि थाके

^ If the nominee is a minor on this date, I / We appoint (Name) _____, Relationship with the minor _____

and Address : _____

to receive the amount of the deposit on behalf of the nominee in the event of my / our / minor's death during the minority of the nominee.

^ यदि नामिती इस तारीख को अवयस्क है, तो मैं / हम नियुक्त करते हैं (नाम) _____, अवयस्क के साथ संबंध _____

और पता: _____

मेरी / हमारी / अवयस्कता के दौरान अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में नामिती की ओर से जमा राशि प्राप्त करने के लिए।

^ यदि एही तारीखत मनोनीत व्यक्ति एजन नाबालक हय, मई / आमि नियुक्ति मिर्ग (नाम) _____ नाबालकब सैते संपर्क _____

आबु ठिकना : _____

मनोनीत व्यक्तिब संचालनसमय समयत मोबा / आमाब / नाबालकब मृत्युब केफ्रेत मनोनीत व्यक्तिब है जमाब परिमाण प्राप्त करिबले।

| | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------|
| Witness 2 | Place _____ | Date _____ |
| गवाह 2 | स्थान _____ | दिनांक _____ |
| साक्षी 2 | ठेह _____ | तारीख _____ |
| Name _____ | Signature _____ | |
| नाम _____ | हस्ताक्षर _____ | |
| नाम _____ | हथि _____ | |
| Address/ पत्ता/ ठेकना _____ | | |

* Applicable only if nominee is a minor.

** जहाँ deposit is made in the name of a minor the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act as behalf of the minor.

* केवल तभी लागू होता है जब नामित व्यक्ति अवयव को हो।

** जहाँ अवयव के नाम पर जमा किया जाता है, नामांकन को अवयव की ओर से कार्य करने के लिए कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

* दम्पती वंशज मालिक श्रेणी में प्रत्येक।

** यह एबन मालिक नामों का क्या होना, मालिक वह काम करता अधिकांश का एबन मालिक मानानाई वास्तव करीब होगा।

निर्विक्र खते मे प्रत्यक्ष क्रेडिट के रूप मे पुनर्भुगलान निर्देश के साथ साविधि जमा के सभी नकदीकरण या निकासी किसी भी उत्कर्ष लघु वित्त बैंक शाखा मे निष्पादित की जा सकती हैं। संयोजित एकाउंट पर पानेपट्टीया क्रेडिट रिहाए परिशेष निर्देशनाश सैते टर्म डिपजिट पर सकल नगदधन वा प्रताहार विकाना उठकर सामा फाईनेन्स बेव्क शाखा त सम्पादन करिब पावि।

- i) An overdue term deposit or its portion may be renewed from the date of Maturity, provided the overdue period from the date of maturity till the date of renewal does not exceed 14 days. The rate of interest payable on the amount of the deposit so renewed shall be the appropriate rate of interest for the period of renewal as prevailing on the date of maturity. If the overdue period is more than 14 days and if the depositor places the entire amount of overdue deposit or at least the principal amount of deposit as a fresh term deposit, interest may be paid for the overdue period on the amount so placed as a fresh deposit at the rate decided by the Bank.

अतिदेय सावधि जमा या उसके हिस्से को परिपक्वता की तारीख से नवीनीकृत किया जा सकता है, बशर्ते परिपक्वता की तारीख से नवीकरण की तारीख तक अतिदेय अवधि 14 दिनों से अधिक न हो। इस प्रकार नवीनीकृत जमा राशि पर देय ब्याज की दर परिपक्वता की तारीख को प्रचलित नवीकरण की अवधि के लिए ब्याज की उपयुक्त दर होगी। यदि अतिदेय अवधि 14 दिनों से अधिक है और यदि जमाकर्ता अतिदेय जमा की पूरी राशि या कम से कम जमा की मूल राशि को नई सावधि जमा के रूप में रखता है, तो बैंक द्वारा तय की गई दर पर नई जमा के रूप में रखी गई राशि पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जा सकता है।

मादपुर्तिब तानिख नवा अतिरिक्त माद्री जमा वा इशार अंश नरीकन कवा हव पावे, यदित्हे मादपुर्तिब तानिख नवा नरीकनब तानिखलैके अतिरिक्त माद 14 दिनतकै अधिक नहय। एनेदवे नरीकन कवा जमाब परिमाणब णपवत परिशेष कविबलगा सूतब हव मादपुर्तिब तानिखत प्रचलित नरीकनब मादब बावे णपयुक्त सूतब हव हव। यदि अतिरिक्त माद 14 दिनतकै अधिक हय आबु यदि जमाकर्तहि अतिरिक्त जमाब संपूर्ण परिमाण वा कमेऽ मूल परिमाणब जमा नतुन माद्री जमा हिटापे बाथे, बेम्ह निर्वाण कवा हावत नतुन जमा हिटापे बवा परिमाणब णपवत अतिरिक्त मादब बावे सूत परिशेष कविब पाबि।

- j) The pre-mature withdrawal of deposit(s) will require consent and signature of all the depositor(s) irrespective of mode of operations (if all depositors are alive).

जमा (औ) की समय पूर्व निकाली के लिए सभी जमाकर्ताओं की सहमति और हस्ताक्षर (यदि सभी जमाकर्ता जीवित हैं) की आवश्यकता होगी, चाहे संचालन का तरीका कुछ भी हो।

जमा(बोब) प्राक-परिपक्व प्रताहाबब बावे सकलै जमाकर्तार समति आबु शाकनब प्रयोजन हव, अपावेचनब पक्वति निरिशेये (यदि सकलै जमाकर्तारी जीवयि थाके)।

- k) I/we have been informed about the applicable penal interest rate for premature withdrawal.

मुझे समय पूर्व निकाली के लिए लागू दंडात्मक ब्याज दर के बारे में सूचित किया गया है।

अकाल प्रताहाबब बावे प्रयोक्ता शाक्तिमूलक सूतब हाबब बिषये मेका/आमाक अरगत कवा हैहैहै।

- l) Premature withdrawal of deposit will attract 1% Penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank or 1% less than the contracted rate whichever is lower.

जमा की समय पूर्व निकाली पर 1% जुर्माना लगाया यानी जिस अवधि के लिए जमा बैंक के पास रहा है उसके लिए जमा की तारीख को कार्ड दर से 1% कम, या अनुबंधित दर से 1% कम, जो भी कम हो।

जमाब अकाल प्रताहाबब फलत 1% जर्बिमान आकर्षित हव अर्था जमाब तानिखअनुसुबि कार्डब हावतकै 1% कम, यि समयब बावे जमा बेम्ह णवत आहै वा चक्रिवृद्ध हावतकै 1% कम यिटै कम हय।

- m) The calculation of interest is basis 365 days in a year for the deposit booked in a non-leap year and 366 days in a year for a deposit booked in a leap year.

ब्याज का परिकलन एक गैर-लीप वर्ष में बुक किए गए जमा के लिए एक वर्ष में 365 दिनों और लीप वर्ष में बुक किए गए जमा के लिए एक वर्ष में 366 दिनों के आधार पर किया जाता है।

अधिवर्षत बुक कवा जमाब बावे बहत 365 दिन आबु अधिवर्षत बुक कवा जमाब बावे बहत 366 दिन सूतब गणना कवा हय।

- n) Non-Callable FDs cannot be withdrawn before the maturity period. This means these deposits are completely locked and individuals or depositors do not have any authority to call or withdraw their FD investments before maturity.

गैर-प्रतिदेय एफडी को परिपक्वता अवधि से पहले वापस नहीं लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये जमा पूरी तरह से लॉक हैं और व्यक्तियों या जमाकर्ताओं के पास परिपक्वता से पहले अपने एफडी निवेश को कॉल करने या वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है।

और ब्याज के बिना 'स्रोत पर कर कटौती' (टीडीएस) शामिल है

मादपुर्तिब मादब आगत अ-कनयोक्ता अफडि प्रताहाब कविब नोवाबि। इशार अर्थ हैहैहै अहि जमाबोब संपूर्णरूपे लक कवा हैहैहै आबु वांछि वा जमाकर्तार मादपुर्तिब आगत ते ठेठलैकब अफडि बिनियोगक कवा प्रताहाब कवाब कोनो कर्तृव्य नहि।

Tax deduction at source/ स्रोत पर कर कटौती/ उद्देश्य कबर्कन

- a) In case of renewed deposits, the new deposit amount consists of the original deposit amount plus interest less Tax Deducted at Source (TDS) if any, less compounding effect of TDS. For reinvestment deposit, the interest reinvested is post TDS recovery and hence the maturity amount for reinvestment deposits would vary to the extent of tax and compounding effect on tax for the period subsequent to deduction till maturity. If Deposit is opened under Monthly/Quarterly Interest Payment Mode, then the renewed deposit shall not comprise of the interest part.

नवीनीकृत जमा राशियों के मामले में, मूल जमा राशि और स्रोत पर ब्याज शामिल होता है लेकिन इसमें नई जमा राशि में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), यदि कोई हो और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के चक्रवृद्धि प्रभाव को शामिल नहीं किया जाता है। पुनर्निवेश जमा के लिए, पुनर्निवेशित किए जाने वाला ब्याज में से टीडीएस वसूली को घटाया जाता है और इसलिए पुनर्निवेश जमाओं के लिए परिपक्वता राशि का परिकलन परिपक्वता तक कटौती के बाद की अवधि के लिए कर और कर पर चक्रवृद्धि प्रभाव की सीमा को घटाकर किया जाता है। यदि जमा मासिक / त्रैमासिक ब्याज भुगतान मोड के तहत खोला जाता है, तो नवीनीकृत जमा में ब्याज का हिस्सा शामिल नहीं होगा।

नरीकन कवा जमाब फ्हेवत, नतुन जमाब परिमाणत मूल जमाब परिमाण आबु टिडिअहब कम योगिक प्रताब थाकिले उंस (टिडिअह)त कर्तन कवा सूत कम कब थाके। पुनब बिनियोग जमाब बावे, पुनब बिनियोग कवा सूत हैहैहै टि.डि.अह. पुनबुक्वाब पिहत आबु सेयेह पुनबबिनियोग जमाब आगत पुनरिमाण मादपुर्तिबलैके कर्तनर पिहब समयब बावे कब आबु कम्पाउडिं प्रताबब परिमाणलै पृथक हव। यदि माहिनी/तिनिमहीया सूत परिशेष मोडब अर्थात जमा थोला हय, तेनेहले नरीकन कवा जमात सूतब अंश अङ्कूर्त नहव।

- b) No deduction of tax shall be made for taxable interest in the case of individual resident in India, if such individual furnishes to the Bank, a declaration in writing in the prescribed form 15G/15H (as applicable, with PAN CARD details) to the effect that the tax on his/ her estimated total income for the year in which such interest income is to be included in computing his/her total income will be NIL. TDS rates will be as applicable from time to time as per the Income Tax Act, 1961 and Income Tax rules (which are subject to change as per directives of Ministry of Finance, Govt. of India). If TDS is not to be deducted, please submit Income Tax Exemption letter along with this Form.

भारत में व्यक्तिगत निवासी के मामले में कर योग्य ब्याज के लिए कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति बैंक को निर्धारित फॉर्म 15 जी / 15 एच (जैसा कि लागू हो, पैन कार्ड विवरण के साथ) में लिखित में एक घोषणा प्रस्तुत करता है कि उस वर्ष के लिए उसकी अनुमानित कुल आय पर कर शुल्क होगा जिसमें ऐसी ब्याज आय को उसकी कुल आय के परिकलन में शामिल किया जाना है। टीडीएस दरें आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर नियमों (जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं) के अनुसार समय-समय पर लागू होंगे। यदि टीडीएस नहीं काटा जाना है, तो कृपया इस फॉर्म के साथ आयकर छूट पर जमा करें।

भाबतत वांछिगत वाणिप्याब फ्हेवत कवयोक्ता सूतब बावे कब कर्तन कवा नहव, यदि एने वांछिये बेम्हक प्रदान कबे, निर्वाचित प्रपत्र 15जि/15अहि (प्रयोक्ता अनुसुबि, पेन कार्डब बिबनब सेते) लिखितभावे थोक्ता कवा हव ये तेठेठ/तेठेठ मूठे णोर्जन गणनात एने सूतब णोर्जन अङ्कूर्त कविब लगा बहतैक बावे कवा। नुन। आयकब अहिन्, 1961 आबु आयकब नियम अनुसुबि समये समये टिडिअह हाव प्रयोक्ता हव (यिवाब भावत चकाबब बिठु म्हालयब निर्देशना अनुसुबि परिवर्तन सापेके)। यदि टिडिअह कर्तन कविब नालागे, अनुग्रह कवि अहि प्रपत्र सेते आयकब हैहैहै पत्र मांथिब कबव।

- c) Form 15G/H is required to be submitted separately for each financial year.

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म 15 जी / एच अलग से जमा करना आवश्यक है।

प्रपत्र 15जि/15अहि प्रतिटै बिडीय बर्षब बावे पृथके दाखिल कविब लागिवा।

- d) The Bank shall not be liable for any consequences or loss arising due to delay or non-submission of form 15G/15H.

बैंक, फॉर्म 15जी / 15एच के विलंब से जमा होने या गैर-जमा होने के कारण उत्पन्न किसी भी परिणाम या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रपत्र 15जि/15अहि.त पलम वा दाखिल नकाबब फलत उद्धर होरा कोनो पबिमाण वा लैकाननब बावे बेम्ह दायबद्ध नहव।

- e) As per section 139A(5A) of the income Tax Act, every person receiving any sum of income or amount from which tax has been deducted under the provision of income tax act shall provide his/her PAN number to the person responsible for deducting such tax. In case the PAN number is not provided the Bank shall not be liable for the non-availing of the credit of tax deducted at source.

आयकर अधिनियम की धारा 139 ए (5 ए) के अनुसार, आयकर अधिनियम के प्रावधान के तहत आय की ऐसी कोई भी राशि जिसमें से कर काटा गया है, प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, इस तरह की कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अपना पैन नंबर प्रदान करेगा। यदि पैन नंबर प्रदान नहीं किया जाता है तो बैंक स्रोत पर काटे गए कर के क्रेडिट का लाभ नहीं मिलने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आयकब अहिब थावा 139अ(5अ) अनुसुबि, आयकब अहिब अहीनत थिकोने परिमाणब णोर्जन वा पबिमाण प्राप्त कवा प्रतिजन वांछिये एने कब कर्तन बावे दायबद्ध वांछिजनक तेठेठ पेन नम्ब प्रदान कविब। यदि पेन नम्ब प्रदान कवा नहय तेतेठ उंसत कर्तन कवा कब क्रेडिट प्राप्त नकाब बावे बेम्ह दायबद्ध नहव।

- f) PAN is required to be submitted to the Bank for Fixed deposit of ₹50,000/- or more.

₹50,000/- या उससे अधिक की सावधि जमा के लिए बैंक को पैन जमा करना आवश्यक है।

50,000/- वा अधिक वे क्रिस्ट डिपजिटिब बावे बेम्ह णवत पेन दाखिल कविब लागिवा।

- g) PAN is required to be submitted to the Bank at a time of Term Deposit of amount exceeding ₹50,000 or once and/or the aggregate Term Deposit amount (including accrued interest) in a financial year exceeds ₹5,00,000/- with the Bank. In case, the PAN number is not provided to the Bank, the Bank shall not be liable for the non-availing of credit of Tax deducted at source and non-issuance of TDS certificate

₹50,000/- से अधिक की सावधि जमा के समय या एक बार और/या किसी वित्तीय वर्ष में कुल सावधि जमा राशि (अर्जित ब्याज सहित) बैंक के पास ₹5,00,000/- से अधिक हो जाती है तो पैन बैंक में जमा करना आवश्यक है। यदि बैंक को पैन संख्या प्रदान नहीं की जाती है, तो स्रोत पर काटे गए कर का क्रेडिट ग्राहक को प्राप्त नहीं होने और टीडीएस प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

एक बिडीय २ वर्षत ₹50,000 वा एवाब आबु वा मुठ माद्री जमाब परिमाण (जमा कवा सूत सह) बेम्ह सेते 5,00,000/- तकै अधिक परिमाणब माद्री जमाब समयत बेम्ह णवत पेन दाखिल कविब लागिवा। यदि, पेन नम्ब बेम्हक प्रदान कवा नहय, बेम्ह उंसत कर्तन कवा कब क्रेडिट प्राप्त नकाब आबु टिडिअह प्रमाणपत्र जारी नकाब बावे दायबद्ध नहव।

- h) As per section 206 AA introduced by Finance (no.2) Act. 2009 w.e.f. 01.04.2010, every person who receive income on which TDS is deductible shall furnish his/her PAN falling which TDS shall be deducted as at the rate of 20% in case of domestic deposits "Please further note that the absence of PAN, form 15G/15H and other exemption certificate will be invalid even if submitted & penal TDS will be applicable."

वित्त (सं.2) अधिनियम, 2009 द्वारा दिनांक 01.04.2010 से शुरू की गई धारा 206 ए के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर टीडीएस कटौती योग्य है, उसे अपना पैन प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर घरेलू जमाओं के मामले में 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। कृपया आगे ध्यान दें कि पैन की अनुपस्थिति में, फॉर्म 15जी और अन्य छूट प्रमाण पत्र अमान्य होंगे, भले ही वे जमा किया गए हों और दंडात्मक टीडीएस लागू होंगे।

बिठु (नं.2) अहिब द्वाबा प्रवर्तन कवा थावा 206 अ.अ. अनुसुबि 2009 वा 01.04.2010 तानिखे, यिस्कल वांछिये टि.डि.अह. ह्रास थोक्ता णोर्जन प्राप्त कवे तेठेठलैके तेठेठ पेन ह्रास कविब यिटै घबुरा जमाब फ्हेवत 20% हावत टि.डि.अह. कर्तन कवा हय", अनुग्रह कवि आबु मन कविब ये पेनेन अङ्कूर्ति, प्रपत्र 15जि/15अहि आबु अन्याना बेवहि प्रमाणपत्र प्रयोक्ता हलैठ वैध हव।"

- i) The above terms and conditions are subject to change as per regulatory guidelines issued from time to time.

उपयुक्त निर्बंधन और शर्तें समय-समय पर जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

समये समये जारी कवा नियामक निर्देशना अनुसुबि णवरोक्त चर्चारी आबु नियमावली सलिन सापेके।

- j) A new section 206AB introduced in the Finance Bill, 2021 w.e.f. 01.07.2021 for deduction of tax at source at higher rates i.e 20% (for interest on deposit where prevailing TDS rate is 10%) if an amount is paid or payable to the specified person who did not file the income tax return for respective year as mentioned in said section.

01.07.2021 से वित्त विधेयक, 2021 में एक नई धारा 206बी पेश की गई है जिसके अनुसार यदि उक्त धारा में उल्लिखित संबंधित वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले निर्दिष्ट व्यक्ति को राशि का भुगतान किया जाता है या देय है तो उच्च दरों अर्थात 20% (जमा पर ब्याज के लिए जहां प्रचलित टीडीएस दर 10% है) पर स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।

बिठु बिसेयक, 2021 अर्था 01 तानिखे णोर्जन कवा अ नतुन थावा 206 आ। उद्ध हावत उंसत कब कर्तन बावे 07.2021 अर्था 20% (जमाब सूतब बावे यत प्रचलित टिडिअह हाव 10%), यदि निर्दिष्ट वांछिजनक परिशेष कवा हय वा परिशेष कविब लगा हय यिये उल्लेख कवा शाखात उल्लेख कवा अनुसुबि संरक्षित बहब बावे आयकब बिठांण दाखिल कवा नाहिवा।

- k) The extant TDS law requires tax to be deducted in case the projected interest exceeds threshold limit (₹50,000/- for senior citizens and ₹40,000/- for others). This threshold limit is to be calculated at the time of payment/credit of interest. Subsequently, in case the total interest falls below the threshold limit due to premature withdrawal of one or more FDs, the TDS deducted on earlier occasions will not be refunded. The deposit holder can claim the credit for TDS while filing his/her income tax return.

वर्तमान टीडीएस कानून में अनुमानित ब्याज सीमा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000/- और अन्य के लिए ₹40,000/-) से अधिक होने की स्थिति में कर कटौती की आवश्यकता होती है। इस सीमा की गणना ब्याज के भुगतान/क्रेडिट के समय की जानी होती है।

इसके बाद, यदि एक या एक से अधिक सावधि जमा की समय पूर्व निकासी के कारण कुल ब्याज सीमा से नीचे चला जाता है, तो पहले के अवसरों पर काटा गया टीडीएस वापस नहीं किया जाएगा। जमा धारक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टीडीएस के लिए क्रेडिट का दावा कर सकता है।

प्रक्षेपित सूत्र सीमा अतिरिक्त करिबले (८७४८ नागरिकर बावे ₹50,000/- आबु आनर बावे 40,000/- ₹) हले कब कर्तन करिब लागिब। सूत्र परिशेषा/क्रेडिटिब समयत एहि ब्रेख्होसत सीमा गनना करिब लागिब। परवर्ती समयत, यदि एक वा एकाधिक एफडि अकालते प्रत्याहार करार बावे मुठ सूत्र सीमाब तललै याय, आगर समयत कर्तन कबा टिडिअह धुबई दिसा नहब। जमा धारके तेँब आयकर बिर्तर्ण दाखिल करबौते टिडिअह बावे क्रेडिटि दबी करिब पाबे।

Bank reserves the right to make any changes in terms and conditions mentioned & same will be updated in Banks website www.utkarsh.bank.

बैंक उल्लिखित नियमों एवं शर्तों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसे बैंक की वेबसाइट www.utkarsh.bank में अपडेट किया जाएगा।

बेङ्क उल्लेख कबा चर्तारली आबु नियमारलीत विकेनो पबिरर्तन करार अधिकार संरक्षित बाथे आबु सेइबोब बेङ्कर रेबेखइटि राइ www.utkarsh.bank त आपडेड कबा हब।


G) DECLARATION: /घोषणा/ /घोषणा:

I/We have read and understood the Terms and Conditions (mentioned overleaf) governing the opening of an account with UTKARSH SMALL FINANCE BANK and those relating to various services. I/We accept and agree to abide by the same, including those excluding/limiting the Bank's liability. I/We understand that the Bank may, at its absolute discretion, discontinue any of the services completely or partially after giving prior notice, I/We agree with the same.


मैंने/हमने उत्कर्ष लघु वित्त बैंक में खाता खोलने और विभिन्न सेवाओं से संबंधित नियमों एवं शर्तों (पीछे की ओर उल्लेख किए गए) को पढ़ा और समझा है। मैं/ हम इन शर्तों, जिनमें बैंक की देयता से मुक्त करने वाली या बैंक की देयता को सीमित करने वाली शर्तें भी शामिल हैं, को स्वीकार करते हैं और इनका पालन करने के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। मैं/हम समझते हैं कि बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर पूर्व सूचना देने के बाद किसी भी सेवा को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद कर सकता है, हम इससे सहमति व्यक्त करते हैं।

मैं/आमि उतर्कश स्माल फाइनेंस बेङ्क आबु बिडिन् सेबाब सैते सम्पर्कित एकाउन्ट एटा खोलाब चर्तारली आबु नियमारली (एपबब पबा उल्लेख कबा) पटिहो आबु बुजि पाइहो। मई/आमि इयाक मानि चलिवलै बीकार करबौ आबु समात हउं, याब भितबत आहें बेङ्कब दायबन्ता बाद दिसा/सीमित कबा।


मैं/आमि बुजि पाइहो ये बेङ्क इयाब सम्पूर्ण बिबेचनात, आगतिया जाननी दिसाब पिछत विकेनो सेबा सम्पूर्ण बा आंशिकताबे बन्क करिब पाबे, मई/आमि इयाब सैते समात।




Signature/ हस्ताक्षर/ স্বাক্ষর 1



Signature/ हस्ताक्षर/ স্বাক্ষর 2



Signature/ हस्ताक्षर/ স্বাক্ষর 3



Signature/ हस्ताक्षर/ স্বাক্ষর 4

(Branch need to verify the Customer Signature, Mode of Operation & put Signature Verification Stamp above)

(शाखा को ग्राहक के हस्ताक्षर, संचालन के तरीके को सत्यापित करने और वहाँ हस्ताक्षर करके सत्यापन मुहर लगाने की आवश्यकता है)

(শাখাই গ্রাহকের স্বাক্ষর, পরিচালনার মাধ্যমে সত্যতা প্রতিপন্ন করার আৰু ওপৰত সত্যতা প্ৰতিপন্নতাৰ মোহৰ লাগোৱাৰ প্ৰয়োজন হয়)

DECLARATION BY THE BRANCH/ शाखा द्वारा घोषणा/ শাখার দ্বারা ঘোষণা

I hereby certify that this account opening form is complete in all respects and relevant documents have been obtained and verified. The Account may please be set up in CBS.

मैं एतद्वारा द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इस खाते खोलने के फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध है और प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त किए गए और सत्यापित किए गए हैं। कृपया सीबीएस में खाता बनाया जाए।

मई इयाब द्वाबा प्रमाणित कबो ये एहि एकाउन्ट खोला प्रपत्रन सकलो द्फेबते सम्पूर्ण आबु प्रासन्निक नथिन्न प्राप्त आबु प्रमाणित कबा हैहो। एकाउन्टो अनुग्रह करि टिबिअहत छेट आप कबा हब पाबे।

Lead Generator Code


लीड जनरेटर कोड

লীড জেনারেটর কোড

Lead Converter Code

लीड कनवर्टर कोड

লীড কনভার্টার কোড



Branch Head / Authorised Signatory

शाखा प्रमुख/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

শাখা মুরব্বী / কর্তৃত্বপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারী

EIN _____

ईआईएन

ইআইএন

Value Date :

मूल्यन दिनांक:

মান তারিখ :

Branch Stamp

शाखा का स्टाम्प

শাখা মোহর

CUSTOMER ACKNOWLEDGEMENT/ ग्राहक की पावती/ গ্রাহকের স্বীকৃতি

Type of A/c*: Single ☐ Joint ☐ | Fixed Deposit ☐ FD Plus ☐ TD Plus ☐ Tax Saver FD ☐ RD ☐ Others ☐ (pls. specify/कृपया निर्दिष्ट करें/কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট করুন)

खाते का प्रकार*: एकल संयुक्त | सावधि जमा एफडी प्लस टडी प्लस टैक्स सेवर एफडी आरडी अन्य

একাক্ষরী* একক সংযুক্ত স্থগিত জমা ফিক্সড ডিপজিট এফডি প্লাস টিডি প্লাস টিডি প্লাস ট্যাক্স সেভার এফডি আরডি অন্য

Ref No.

संदर्भ सं.

বেকাবেস নম্বর

Please quote this reference no. for any future communication

कृपया भविष्य के किसी भी संचार के लिए इस संदर्भ संख्या को उद्धृत करें

ভবিষ্যৎ যোগাযোগের বাবে জ্ঞাপুর করি এই রেফারেন্স নম্বর উদ্ধৃত করক

Date:

दिनांक:

তারিখ:

Nomination taken : Yes ☐ No ☐

नामांकन लिया गया: हाँ नहीं

গ্রহণ মনোনয়ন: হয় নয়

Signature of Bank Official along with Branch Stamp

शाखा स्टाम्प के साथ बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

শাখা ডাকটিকটর সৈতে বেঙ্ক বিষয়ার স্বাক্ষর